संख्या: 7/2018/जी-1-105 /दस-2018-226/2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक :: 08 अगस्त, 2018

विषयः- वेतन समिति(2016) की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संख्या-3/2018/जी-1-102 /दस-2018-226/2008, दिनांक:18 जुलाई, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, को उक्त शासनादेश दिनांक: 18 जुलाई, 2018 में दिये गये शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उसी दर पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिस दर पर उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य है ।

2- यह आदेश दिनांक: 01 जुलाई, 2018 से लागू होंगे ।

3 - उक्त शासनादेश दिनांक:18 जुलाई,2018 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव

संख्या : 7/2018/जी-1- 105 (1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
(2) महालेखाकार-1, 2 एवं 3, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/ लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन तीन प्रतियों में)
(5) सचिव, श्री राज्यपाल।
(6) विधान सभा /परिषद सचिवालय।
(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।